Krishna Nand B.A III Hons (1)

Sampling (continue)

बड़ा गुण यह है कि दो चायी को एक ही समान पर प्रति दर्श आसानी से मिल जाता है। इस गुण के होने पर भी इस प्रतिचयन का एक बड़ा दोष यह है कि इसके प्राप्त परिणाम को सामान्यीकरण पूरे विश्वास के साथ नहीं किया जा सकता है।

(iii) अंश प्रतिचयन (Quota Sampling) —

इस प्रतिचयन विधि में शोधकर्ता द्वारा सम्पूर्ण जन संख्या की उन इकाइयों को चुना जाता है जिन्हें वे अपनी समझ अथवा सूझ-बूझ के आधार पर बेहतर समझते हैं कि यह अंश जन-संख्या का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसके लिए पहले किसी गुण या विशेषता की सम्पूर्ण जन संख्या की इकाइयों का स्तरीकरण विभिन्न अंशों में इस कर लिया जाता है। पुनः शोधकर्त्ता द्वारा अध्ययन के लिए आवश्यकतानुसार किसी एक अंश का चयन कर लिया जाता है।

(iv) खण्ड प्रतिचयन (Check Sampling) —

किसी गुण या विशेषता की जनसंख्या का ही एक सुविधाजनक अंश को प्रतिदर्श के रूप में चयन करना 'खण्ड प्रतिदर्श' (Check Sampling) कहलाता है। उदाहरण स्वरूप — किसी गुण या विशेषता से सम्बद्ध जनसंख्या

Krishna Nand B.A III Hon's (2)
Sampling (continue)?

से केवल छात्रों या ग्रामीण या शहरी लोगों का ही प्रतिदर्श के लिए चयन करना खण्ड प्रतिदर्शन है।

(5) सुविधानुसार प्रतिचयन (Convenience Sampling)
इसके अन्तर्गत अध्ययनकर्ता उन स्थानों व्यक्तियों, सहभागियों से संपर्क करता है जिससे उसे सम्पर्क में पर्याप्त सुविधा रहती है, जैसे - एक महिला शोधकर्ता अपने अध्ययन में केवल महिलाओं का ही चयन अपनी सुविधा के लिए करती है तो इस प्रकार के प्रतिचयन को सुविधानुसार प्रतिचयन कहा जाता है। क्योंकि शोधकर्ता द्वारा प्रतिचयन का आधार अपनी सुविधानुसार तय किया गया है।

(VI) विचारानुसार प्रतिचयन (Judgement Sampling)
इस आधारभूत प्रतिचयन में इकाईयों का चुनाव विचारपूर्वक किया जाता है। इसमें सम्पूर्ण जनसंख्या से प्रतिदर्श इकाईयों का चयन अध्ययन से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऐसे प्रतिदर्श का चयन विचारपूर्वक किया जाता है। अतः इस प्रकार के प्रतिचयन को विचारानुसार प्रतिचयन कहा जाता है।

(VII) विशेषज्ञानुसार प्रतिचयन (Experts Sampling)

इस अव्यावसायिक प्रतिचयन में प्रतिचयन की इकाईयों के चयन में निरीक्षक के मत को ही महत्त्व दिया जाता है, अतः अंत के प्रतिचयन त्रुटिपूर्ण हो सकती है। अतः ऐसे प्रतिदर्श को जिसमें इकाइयों के चयन में निरीक्षक के मत को अधिक महत्त्व दिया जाता है उसे निर्णयानुसार प्रतिदर्श या प्रतिचयन कहते हैं।

(viii.) स्वेच्छानुसार (Self selected) प्रतिचयन- (इस अव्यावसायिक प्रतिचयन Nonprobability Sampling) के अन्तर्गत उन इकाईयों का अध्ययन किया जाता है, जो स्वेच्छानुसार सूचित समस्याओं या अपना मत समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। यहाँ अनुसंधानकर्ता अपने प्रतिचयन के लिए इकाईयों का चयन नहीं करता। क्योंकि ऐसे सम्पर्क की विभिन्न इकाईयाँ अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार ही समय-समय पर प्रकाशित विवादग्रस्त समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करती हैं, अतः ऐसे प्रतिचयन को स्वेच्छानुसार प्रतिचयन कहते हैं।

The End